प्राक्कथन

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 48 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है ताकि उसे रा.रा.क्षे.दिल्ली की विधानसभा के समक्ष रखा जा सके।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का उद्देश्य वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली के वित्तीय निष्पादन का आकलन करना और वित्तीय आंकड़ों के लेखापरीक्षा विश्लेषण के आधार पर विधानसभा को इनपुट प्रदान करना है। इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय हैं।

अध्याय I- रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त का विहंगावलोकन

यह अध्याय प्रतिवेदन के लिए आधार और दृष्टिकोण का वर्णन करता है और रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। इसमें घाटे/अधिशेष और ऋण प्रोफाइल सहित प्रमुख सूचकांकों और रा.रा.क्षे.दि.स. की राजकोषीय स्थिति का वृहद-राजकोषीय विश्लेषण शामिल है।

अध्याय II - बजटीय प्रबंधन

यह अध्याय रा.रा.क्षे.दि.स. के विनियोग लेखाओं पर आधारित है और सरकार के विनियोग और आबंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है और बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलनों के संबंध में रिपोर्ट करता है।

अध्याय III - वित्तीय रिपोर्टिंग पद्धति

यह अध्याय रा.रा.क्षे.दि.स. के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रदान किए गए लेखाओं की गुणवत्ता और रा.रा.क्षे.दि.स. के विभिन्न विभागों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों के गैर-अनुपालन के मुद्दों पर टिप्पणी करता है।

विभिन्न विभागों में लेन-देन की निष्पादन लेखापरीक्षा और लखापरीक्षा के निष्कर्षों और सांविधिक निगमों, बोर्डों और सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा से

उत्पन्न अभ्युक्तियों वाले प्रतिवेदन और राजस्व प्राप्तियों पर टिप्पणियों वाले प्रतिवेदन को पृथक से प्रस्तुत किया जाता है।

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए आधार और दृष्टिकोण

रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार अधिनियम,1991 की धारा 48 के अनुसार, रा.रा.क्षे.दि.स. के लेखाओं से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के प्रतिवेदन उस राज्य के उपराज्यपाल को प्रस्तुत किए जाने होते हैं, जो उन्हें रा.रा.क्षे. दिल्ली की विधानसभा के समक्ष रखवाएंगे। लेखा नियंत्रक, रा.रा.क्षे.दि.स. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यालयों और विभागों द्वारा प्रस्तुत वाउचरों, चालानों और प्रारंभिक और सहायक लेखाओं के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त विवरणों के आधार पर रा.रा.क्षे.दि.स. के वार्षिक वित्त लेखाओं और विनियोग लेखाओं का संकलन करता है। इन लेखाओं की महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा स्वतंत्र रूप से लेखापरीक्षा की जाती है और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखाओं और विनियोग लेखाओं से इस प्रतिवेदन के लिए मुख्य आंकड़े तैयार होते हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- रा.रा.क्षे.दि.स. का बजट: अनुमानों की तुलना में राजकोषीय मापदंडों और आबंटन प्राथमिकताओं का आकलन करने के साथ-साथ इसके कार्यान्वयन की प्रभावशीलता और संगत नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए।

- प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय द्वारा की गई लेखापरीक्षा के परिणाम।

- विभागीय प्राधिकरणों और कोषागारों (लेखांकन तथा एमआईएस) से संबंधित अन्य आंकड़े। स.रा.घ.उ. आंकड़े और रा.रा.क्षे.दि.स. से संबंधित अन्य आंकड़े।

- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- भारत सरकार (जीओआई) की सर्वोत्तम पद्धतियां और दिशा-निर्देश।

वर्ष 2024-25 के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का मसौदा जनवरी 2026 में टिप्पणियों के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. को भेजा गया था। अपर मुख्य सचिव (वित्त), रा.रा.क्षे.दि.स. से निर्गम सम्मलेन आयोजित करने के लिए एक सुविधाजनक तिथि सूचित करने के लिए अनुरोध किया गया है, जिसका उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2026)। फरवरी 2026 तक रा.रा.क्षे.दि.स. से प्राप्त उत्तरों को इस प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किया गया है।

सरकारी लेखा संरचना

रा.रा.क्षे.दि.स. के लेखाओं को तीन भागों में रखा जाता है।

1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की समेकित निधि (रा.रा.क्षे.दि.स. अधिनियम, 1991 की धारा 46)

इस निधि में रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा लिए गए सभी ऋण (केंद्र सरकार से प्राप्त ऋण) और ऋणों के पुनर्भुगतान में रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा प्राप्त सभी धन शामिल हैं। विधि और भारत के संविधान द्वारा उपबंधित किए गए उद्देश्यों और तरीके के अतिरिक्त इस निधि से कोई धन विनियोजित नहीं किया जा सकता है। व्यय की कुछ श्रेणियां (जैसे, संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन, ऋण चुकौती आदि), रा.रा.क्षे.दि.स. की समेकित निधि (प्रभारित व्यय) पर एक प्रभार का गठन करती हैं और विधायिका द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं। अन्य सभी व्यय (दत्मत व्यय) के लिए विधायिका द्वारा मतदान किया जाता है।

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की आकस्मिकता निधि (रा.रा.क्षे.दि.स. अधिनियम, 1991 की धारा 47)

यह निधि अग्रदाय की प्रकृति की है जिसे रा.रा.क्षे.दि.स. की विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून द्वारा स्थापित किया गया है और विधानसभा द्वारा ऐसे व्यय के प्राधिकार के लंबित होने तक अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिम दिए जाने को सक्षम बनाने के लिए उपराज्यपाल के नियंत्रण में रखा जाता है।

रा.रा.क्षे.दि.स. की समेकित निधि से संबंधित कार्यात्मक मुख्य शीर्ष में व्यय को घटाकर निधि की प्रतिपूर्ति की जाती है।

3. लोक लेखा

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के लिए अलग से कोई लोक लेखा नहीं है और लोक लेखा से संबंधित लेन-देन (जमा, अग्रिम, आरक्षित निधियां, प्रेषण और उचंत) का केंद्र सरकार के लोक लेखा में विलय कर दिया जाता है। रा.रा.क्षे.दि.स. के अंतिम शेष को केंद्र सरकार के सामान्य नकद शेष के साथ विलय कर दिया जाता है और उसका हिस्सा बन जाता है इसे केंद्र सरकार के पास जमा राशि के रूप में माना जाता है।

रा.रा.क्षे.दि.स. के सरकारी लेखाओं की संरचना